

the National Calamity Fund, to help the State of Orissa.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He has already answered this question. Now, Shri Bhubaneswar Kalita.

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Madam, thank you very much for giving me this opportunity.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The same answer will be given if your question is also the same.

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Madam, we thought, the people of Assam thought that floods were the monopoly of Assam and drought was the monopoly of Gujarat. But one can now see—I myself have seen the situation in Gujarat—that this time the thing is reversed. When we see the loss of property and human lives due to floods, Assam is in a worse position than Gujarat in regard to floods.

The situation has reversed in the sense that Assam now is not experiencing that much of rain and floods as it had been experiencing earlier(Interruptions)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please, order in the House. If anybody wants to talk, he can go out into the lobby and tsik....(Interruptions)...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Many of the districts of Assam are experiencing drought situation. I want to know from the Minister whether the Government has made any assessment of the loss to crops in the drought-affected areas of Assam. It is a peculiar situation this time. Gujarat used to suffer from drought and Assam used to suffer from floods. But the situation has reversed. The situation in Assam has become very critical. So, I want to know from the Minister whether any assessment has been made of the loss to crops in Assam,

SHRI ARVIND NETAM: The hon. Member is right in saying that this year Assam has not received the normal rains as it had in the past. So, whatever the situation is, whenever we receive any information from the State Governments either about floods or about drought situation, we take action. As far as Assam is concerned, we have not received any report from the State Government about the present situation of drought. The moment we

receive the report, we will certainly take action. SHRI BHUBANESWAR KALITA: Madam, I am raising this because we are from the districts and we know what the situation is. Those areas are affected with drought. I want to know whether on my information the Central Government will take action or not.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think, I have to get every State to ask a

question....(Interruptions) Let us take up Punjab(Interruptions)... and go to Bihar... (Interruptions)....

श्री इकबाल सिंह: मैडम, आनरेबल मिनिस्टर साहब जाखड़ जी से बातचीत हुई थी और उन्होंने पंजाब को दूर लगाया खासतौर पर पटियाला डिस्ट्रिक्ट, फरीदकोट, फरीदकोट एरिया में घूमे तब इतना नुकसान हो चुका था कि पटियाला की पुनिवर्षिटी आपको पता है आधे से ज्यादा खत्म हो चुकी है। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि अगर नेशनल कैलेमिटी में यह आ जाए तो हम इस की हैल्प कर सकते हैं। लेकिन लास्ट ईयर हैल्प नहीं हो सकी। इस साल फिर अभी सुबह की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जलंधर डिस्ट्रिक्ट, कपूरथला में काफी नुकसान हो चुका है। अब सतलुज दरिया से नवौंशहर में फ्लड से बहुत नुकसान हो चुका है। तो माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ कि आपने पंजाब को कैलेमिटी रिलीफ फंड में कितना पैसा अब तक दिया है, और कितने डिस्ट्रिक्ट को अब तक पंजाब में जा चुकी है रिलीफ का पैसा?

श्री बलराम जाखड़: जितना मांगा सरकार उतना देगी।...

श्री इकबाल सिंह: मैडम, मंत्री जी ने क्या कहा समझ में नहीं आया।(व्यवधान)

उपसभापति: उन्होंने कहा जितना मांगेंगे उतना देंगे(व्यवधान)

श्री अनंतराम देवसंकर दबै: महोदय, गुजरात के बारे में न ही पूछ ... (व्यवधान)

उपसभापति: बस हो गया। बवैम्बन नंबर 463 (व्यवधान) आप लोग बैठ जाइए। यह कोई तरीका नहीं है।(व्यवधान) बीच में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है....(व्यवधान)

गुजरात में मान्यता प्राप्त कालेज

*463. श्रीमती उर्मिला धिमनभाई पटेल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने चालू वर्ष में अब तक कितने

इंजीनियरी, फर्मैसी, तकनीकी तथा वाणिज्यिक कालेजों को मान्यता प्रदान की है;

(ख) गुजरात में ऐसे कितने कालेजों को मान्यता प्रदान की गई और उन कालेजों को क्या-क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं;

(ग) सरकार ने इन कालेजों को आत्म-निर्भर बनाने, अपने यहां शैक्षणिक-स्तर को बनाये रखने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये हैं कि इन कालेजों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिले;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी संस्थाओं को अनुदान देने का कोई प्रावधान किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) कुल व्यय का कितने प्रतिशत आवर्ती तथा अनावर्ती सहायता के रूप में प्रदान किया जा रहा है; और

(छ) क्या विद्यार्थियों से ली जा रही फीस को कोई सीमा निर्धारित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

चालू वर्ष के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अ.भा.तक. शिक्षा परि.) ने 42 इंजीनियरी/तकनीकी और फर्मैसी कालेजों को मान्यता प्रदान की है जिनमें गुजरात के तीन इंजीनियरी कालेज शामिल हैं। दो कालेज राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं और तीसरा स्व-वित्तपोषिक गैर-सहायता प्राप्त कालेज है। अ.भा.तक. शिक्षा परि. ने प्राइवेट व्यावसायिक गैर-सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश और फीस को विनियमित करने के लिए 20 मई, 1994 को विनियम जारी किए हैं। इन विनियमों के अनुसार 50% सीटें निःशुल्क सीटें होंगी और शेष 50% सीटें भुगतान वाली सीटें होंगी। इन संस्थाओं में प्रवेश पूर्णतया योग्यता के आधार पर किए जायेंगे। किसी व्यवसायिक कालेज द्वारा लिए जाने वाले शिक्षा शुल्क और अन्य शुल्क राज्य स्तरीय समितियों द्वारा निर्धारित किए जाने हैं। प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त तकनीकी कालेजों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन यह है कि भुगतान वाली सीटों के लिए शुल्क बाँचा उन्हें वास्तविक लागत की दृष्टि से स्व-आत्मनिर्भर बना सकेगा। गैर सहायता प्राप्त संस्थाओं की स्थापना और रख-रखाव के लिए अनुदान प्रदान करने के बारे में सरकार की कोई योजना नहीं है।

SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL:....(Interruptions)...Madam, we have

no room for examinations...(Interruptions)...Is the hon. Minister going to take some steps for ending the strike in this institution? Madam, there is no accountability of the teachers...(IntemipriOrtj.)...has taken place late in the evening, after 9 or 10 O'clock and there are many problems...(Interruptions)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order in the House, please. If you want to speak something, please go to the Lobbies. (Interruptions)

SHRI MATIURMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Is the Minister going to take some concrete steps in the matter?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS. Impact of Dunkel proposals on Agriculture Sector

*465. SHRI VIREN J. SHAH:

SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what are the details about the impact of Dunkel proposals as accepted by the member countries on the areas in Agriculture showing reduction of domestic support in the form of subsidies; minimum level of import content in total consumption; possibility of disbanding of Public Distribution System; and extension of intellectual property protection on agriculture and introduction of seed patenting;

(b) what are the details of Government's reaction in respect of each of the items mentioned above; and

(c) how do Government propose to remove or reduce the adverse impact in each case?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR):

Statement

(a) GATT-94 as accepted by the Member countries in respect of Agriculture Sector provides as under:—

(1) Domestic subsidy: The developed countries have to reduce their Aggregate